विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद अल्मोडा की देशी/विदेशी मदिरा दुकानें विगत वर्ष की आबकारी नीति के अनुसार ही माह मई 2017 हेतु निर्धारित/आगणित राजस्व पर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 31.03.2017 तथा आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1035 दिनांक 29.04.2017 के अनुसार संचालित कराई जानी हैं। जनपद की निम्नांकित मदिरा दुकानें वर्तमान में अव्यवस्थित हैं:-

1. रानीखेत देशी मदिरा
2. जालली देशी मदिरा
3. द्वाराहाट विदेशी मदिरा
4. जालली विदेशी मदिरा
5. भिकियासैंण विदेशी मदिरा

उक्त मदिरा दुकानों को माह मई 2017 हेतु निर्धारित राजस्व पर संचालित करने हेतु इच्छुक आवेदकों से दिनांक 19.05.2017 की अपरान्ह 12:00 बजे तक बन्द लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त दुकानों में से यदि किसी दुकान के लिए निर्धारित राजस्व पर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकान के लिए सर्वाधिक राजस्व का आफर करने वाले आवेदक को दैनिक आधार पर दुकान आवंटन करने पर विचार किया जायेगा। उक्त दुकानों एवं उनके निर्धारित राजस्व से सम्बन्धित सूचना जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 96 /पॉच-आब0/व्यवस्थापन/2017/दिनांकःमई 18, 2017

प्रतिलिपि –

1. जिला अधिकारी, अल्मोडा को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में दिनांक 19.05.2017 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ जनपद अल्मोडा की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सूचना पट जिला कार्यालय अल्मोडा/सूचना पट समस्त तहसीलें जनपद अल्मोडा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

18/5/17

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।